E-Mail

# राजस्थान सरकार
## सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.4(4)साप्र/5/2016 जयपुर, दिनांकः 13.02.2017

**—: आदेश :—**

बजाजनगर अपार्टमेन्ट, गांधीनगर, जयपुर में निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को वरियातानुसार/पात्रतानुसार उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये राशि रूपये 500/– (अक्षरे पाँच सौ रूपये मात्र) के भुगतान पर **एक वर्ष अथवा नियमित आवास आवंटित होने तक, जो भी पहले हो**, के लिए एतद्द्वारा अस्थाई आवंटन किया जाता है:–

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम व पद | ग्रेड–पे | पूर्व वरियता संख्या | नवीन वरियता संख्या | सेवानिवृति तिथि | आवंटित आवास संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | शकुन्तला चौधरी, डेमोग्राफी (डीडी), निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर | 6600/- | 23 | 13/2016 | 31.07.2045 | ए–2, बजाजनगर अपार्टमेन्ट |
| 2. | श्री आकाश पाठक, उप निदेशक (सांख्यिकी), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर | 6600/- | 26 | 15/2016 | 31.07.2047 | ए–I–5, बजाजनगर अपार्टमेन्ट |
| 3. | डॉ0 (श्रीमती) रजनी वर्मा, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कराबी औषधालय, सरनाडूंगर, जयपुर | 6600/- | 45 | 21/2016 | 30.06.2026 | ए–I–8, बजाजनगर अपार्टमेन्ट |
| 4. | डॉ0 मुक्ता मील, सहायक आचार्य, पैथालोजी विभाग, सवाई मानसिंह, आर्युविज्ञान महाविद्यालय, जयपुर | 6600/- | 58 | 27/2016 | 2050 | बी–I–18, बजाजनगर अपार्टमेन्ट |
| 5. | डॉ0 सतेन्द्र सिंह, मेडिकल आफिसर, इम्यूनोहीमेलोटरी एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसीन, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर | 6600/- | 59 | 28/2016 | 31.08.2039 | बी–I–19, बजाजनगर अपार्टमेन्ट |
| 6. | श्री सतीश कुमार उपाध्याय, उपायुक्त (आई0टी0), वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर | 6800/– | - | 01/2017 | 31.08.2024 | डी–I–43, बजाजनगर अपार्टमेन्ट |
| 7 | आशा पाल मौर्य, प्रशिक्षु लेखाधिकारी राजस्थान लेखा सेवा, अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण), हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर | 5400/- | 27 | 16/2016 | 31.05.2047 | ए–3, बजाजनगर अपार्टमेन्ट |
| 8 | श्री भूरामल मीणा, चिकित्सा अधीक्षक, एस. एम.एस. हॉस्पीटल, जयपुर | 6000/– | 54 | 1/2013 | 31.07.2022 | सी–II–36,बजाजनगर अपार्टमेन्ट |
| 9 | श्री दिलीप सिंह, नर्स–II, राजकीय चिकित्सालय, गॉधीनगर, जयपुर | 4200/– | 55 | 2/2013 | 31.10.2036 | ई–50, बजाजनगर अपार्टमेन्ट |
| 10 | श्री त्रिलोक चन्द तिवाडी वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–II, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राज. जयपुर | 5400/– | 57 | 3/2013 | 31.01.2026 | ई–52, बजाजनगर अपार्टमेन्ट |
| 11 | श्री रामनिवास जाटव नर्स–II , गणगोरी बाजार होस्पि. एस.एम.एस. हॉस्पीटल, जयपुर | 4200/– | 62 | 4/2013 | 31.05.2046 | ई–II–58,बजाजनगर अपार्टमेन्ट |
| 12 | श्री मुकेश कुमार मूंड तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | 4800/– | 68 | 5/2013 | 30.06.2044 | जी–II–83,बजाजनगर अपार्टमेन्ट |
| 13 | श्री रोहित कुमार अग्रवाल नर्स–II , गणगोरी बाजार होस्पि. एस.एम.एस. हॉस्पीटल, जयपुर | 4200/– | 73 | 6/2013 | 31.01.2042 | एच–II–96,बजाजनगर अपार्टमेन्ट |

**उक्त आवंटन पर निम्न शर्तें लागू होगी :–**

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है। आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में प्राप्त करना होगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण तथा सेवानिवृति हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।

5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा, अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
6. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर मे निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
   3. सम्पत्ति विवरण घोषणा–पत्र।
   4. गत भुतगान प्रमाण–पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी लागू होगी।

**राज्यपाल की आज्ञा से**

**(इन्द्र सिंह राव)**
**संयुक्त शासन सचिव**

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्ट्र, जयपुर ।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0 विभाग,(विधुत वृत) जयपुर।
5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता,/सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि. गांधीनगर, जयपुर।
9. अधीक्षक, सवाई मानसिहं अस्पताल।
10. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष.......................................................
11. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
12. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
14. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग।
15. सहायक प्रोग्रामर, सा.प्र.वि. कृपया आवंटन पत्र एवं वरीयता सूची वेबसाइट पर डालें।
16. रक्षित पत्रावली।

**संयुक्त शासन सचिव**